

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



सेवा में,

सचिव,

रायजादा धर्मदास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी,
बाईपास रोड, मेरठ।

पत्रांक : सम्बद्धता/433
दिनांक : 04/5/2022

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 29.01.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Vikas Kumar Sharma	Asst. Prof.	M.A. M.Ed. NET	Dr. Neeraj Saxena (Retd.) Meerut College, Meerut
2-	Rajveer	Asst. Prof.	M.Com. M.A. M.Ed. NET	Dr. Vijay Jaiswal CCS University, Meerut
3-	Atul Kumar	Asst. Prof.	M.Sc. M.Ed. NET	----- do -----
4-	Mamta Mauriya	Asst. Prof.	M.A. M.Ed. NET	----- do -----
5-	Nitu Maan	Asst. Prof.	M.A. M.Ed. Ph.D.	----- do -----
6-	Anil Kumar	Asst. Prof.	M.Sc. M.Ed. NET	----- do -----
7-	Neeraj Bhatnagar	Asst. Prof.	M.A. M.Ed. NET	----- do -----
8-	Sandeep Kumar	Asst. Prof.	M.A. M.Ed. NET	----- do -----
9-	Dharm Vir Singh	Asst. Prof.	M.A. M.Ed. NET	----- do -----
10-	Ramu Prasad	Asst. Prof.	M.Sc. M.Ed. NET	----- do -----
11-	Jitendra Pratap	Asst. Prof.	M.A. M.Ed., NET	----- do -----
12-	Rajeshwar Kumar Viswakarma	Asst. Prof.	M.A., M.Ed. NET	----- do -----
13-	Balram Singh	Asst. Prof.	M.Sc., M.Ed. NET, Ph.D.	----- do -----
14-	Manoj Kumar	Asst. Prof.	M.A., M.Ed. NET Ph.D.	----- do -----
15-	Brijesh Kumar	Asst. Prof.	M.A., M.Ed. NET	----- do -----
16-	Jai Narayan Tripathi	Asst. Prof.	M.A., M.Ed. NET	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/ यू०जी०सी०/ एन०सी०टी०ई०/ बी०सी०आई०/ एम०सी०आई०/ एन०सी०आई०/ सी०सी०आई०एम०/ ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)

कृते कुलसचिव